मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-2

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2010 (अग्रहायण 2, 1932)

विधानसभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 100 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 104 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री पारस दादा सकलेचा, सदस्य ने प्रदेश के स्कूली बच्चों को गुणवत्ताहीन ड्रेस उपलब्ध कराये जाने, तथा

(2) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने सरदारपुर के ग्राम अमझेरा में कन्या हाईस्कूल बंद किये जाने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

(संपूर्ण कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्य प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार की मांग को लेकर गर्भगृह में आये तथा नारेबाजी करते रहे)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा ने -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार एम.पी. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वित्त वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008,

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2009-2010; तथा

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक एफ-2-16-2008, तेरह, दिनांक 26 जुलाई, 2010,

(ii) क्रमांक 2518-म.प्र. विनिआ-2010, दिनांक 16 सितम्बर, 2010, तथा

(iii) क्रमांक 2678-म.प्र.विनिआ-2010 दिनांक 5 अक्टूबर, 2010,

पटल पर रखीं।

(2) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2009-2010,

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2007);तथा

(ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 (दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2010) तथा आयोग का वर्ष 2009-2010 का स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन,
पटल पर रखा।

4. जुलाई, 2010 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने जुलाई, 2010 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

5. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2010 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2010 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित निम्नलिखित विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है । अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

(1) मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010
(क्रमांक 21 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2010),

(2) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2010
(क्रमांक 29 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2010),

(3) मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2010), (क्रमांक 20 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2010),

(4) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2010
(क्रमांक 17 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2010),

(5) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2010
(क्रमांक 23 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2010),

(6) मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010
(क्रमांक 18 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 25 सन् 2010),

7. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2010 को संपन्न हुई जिसमें निम्नलिखित कार्यों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई :-

क्र.	नाम	निर्धारित समय
1.	मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010)	30 मिनट
2.	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010)	30 मिनट
3.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल(संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26 सन् 2010)	1 घण्टा
4.	मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (निरसन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010)	30 मिनट
5.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 28 सन् 2010)	30 मिनट
6.	वर्ष 2010-2011 की द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घण्टे
7.	प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत तथा श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा	1 घन्टा 30 मिनट
8.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2005-2006 पर चर्चा	2 घण्टे
9.	मध्यप्रदेश लघु उद्योग विकास निगम मर्यादित का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 पर चर्चा	2 घण्टे
10	मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक लेखे एवं प्रतिवेदन वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 पर चर्चा	2 घण्टे

समिति द्वारा यह सिफारिश भी की गई है कि दिनांक 29 नवम्बर, 2010 को सभा की बैठक न रखी जाय।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

अध्यक्ष महोदय ने अभी शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृत देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(उपनेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार करने संबंधी लगाये गये आरोप के विरोध में सत्तापक्ष के सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे)

8. ध्यानाकर्षण

ध्यानाकर्षण की सूचनाएं विपक्षी सदस्यों द्वारा व्यवधान के कारण नहीं पढ़ी जा सकी।

11.42 बजे से 11.58 बजे तक 15 मिनिट के लिए विधान सभा की कार्यवाही स्थगित हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(उपनेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी द्वारा मुख्यमंत्री के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की बात उठाई गई तथा विपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस बात को लेकर गर्भगृह में आकर नारेबाजी की)

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 221, सैलाना (अ.ज.जा.) के सदस्य, श्री प्रभुदयाल गेहलोत ने विधान सभा के वर्तमान नवम्बर-दिसम्बर, 2010 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है।

अनुज्ञा प्रदान की गई।

10. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमा वली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री ज्ञान सिंह
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल
(3) श्रीमती नीता पटेरिया
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(6) श्री रामलखन सिंह

11. वर्ष 2010-2011 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने वर्ष 2010-2011 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए बुधवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2010 को 2 घण्टे का समय नियत किया गया।

(कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा गर्भगृह से नारेबाजी की जाती रही)

12. वन मंत्री का वक्तव्य

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने दिनांक 20 जुलाई, 2010 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 895) एवं दिनांक 27 जुलाई, 2010 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्रमांक 1714) के उत्तरों में संशोधन करने संबंधी वक्तव्य दिया।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री जयंत मलैया, आवास और पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, आवास और पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26 सन् 2010) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(4) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (निरसन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 28 सन् 2010) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य गर्भगृह से नारेबाजी करते रहे)

14. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हेतु श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य का नाम पुकारा गया किन्तु विपक्षी सदस्यों द्वारा व्यवधान करने तथा नारेबाजी किये जाने के कारण चर्चा नहीं हो सकी।

12.11 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2010 (अग्रहायण 3, 1932) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा